बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

सं0सं0 :–2/अ०प्र०–1–63/2025 (खण्ड–ii) 7423 /पटना, दिनांक :– 9.7.25

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मढ़ौरा के अधीन पानापुर प्रखंड में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (सामान्य) अंतर्गत वर्ष 2020–21 में स्वीकृत पानापुर रसौली पक्की सड़क से नट बस्ती होते हुए नहर तक पथ में कराये गये कार्य के विरूद्ध भुगतान के मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–19582/2024, धर्मेन्द्र कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के क्रम में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मढ़ौरा के पत्रांक 569 दिनांक 19.04.2025 से प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि कार्य प्रमंडल मढ़ौरा द्वारा 0.975 कि0मी0 का पथ स्वीकृत किया गया था, जबकि वर्तमान जॉच में यह पाया गया कि पथ की वास्तविक लम्बाई 0.0905 कि0मी0 ही थी। इस 0.905 कि0मी0 में से 0.42 कि0मी0 की लम्बाई में पथ का निर्माण पंचायत के किसी योजना से तथा 0.25 कि0मी0 की लम्बाई में पथ का निर्माण GTSNY योजनान्तर्गत वर्ष 2019 में ही कराया जा चुका था। श्री परमेश्वर मेहरा, तदेन कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल मढ़ौरा द्वारा अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों का समुचित निर्वहन नहीं करते हुए संवेदक के साथ मिलीभगत कर स्वीकृत रेखांकन पर मात्र 0.235 कि0मी0 का कार्य कराकर शेष स्वीकृत लम्बाई को अस्वीकृत रेखांकन (रसौली शिव मंदिर से धनौती सिवाना) पर कार्य करा दिया गया, जिससे कोई भी बसावट सम्बद्ध नहीं हो रहा था। साथ ही श्री मेहरा द्वारा इसकी मापी अंकित कर भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया।

2. श्री मेहरा द्वारा इस मामले में बरती गई स्वेच्छाचारिता, कर्तव्यहीनता, दायित्वों के प्रति लापरवाही एवं गंभीर वित्तीय अनियमितता के लिए प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए उनके विरूद्ध अग्रतर अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया। इसी क्रम में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) के तहत विभागीय संकल्प सं0 5175 दिनांक 14.05.2025 द्वारा श्री मेहरा को निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय निर्धारित किया गया।

3. इस मामले में श्री मेहरा के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर ज्ञाप सं0 6383 दिनांक 20.06.2025 द्वारा उनसे बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गई है।

4 श्री मेहरा की दिनांक 30.06.2025 को सेवानिवृति की तिथि निर्धारित है। सेवानिवृति की तिथि के आ जाने पर निलंबित सरकारी सेवक की वार्धक्य सेवानिवृति के संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापांक 3/एफ–01–50/70–12753 एफ0 दिनांक 26.11.1970 में स्पष्ट किया गया है कि " Government Servants under suspension should retire on reaching the age of superannuation irrespective of the question whether enquiries into charge or departmental or judicial proceeding initiated against them have been concluded or not." इसप्रकार निलंबित सरकारी सेवक का निलंबन वापस लेकर उसे वार्धक्य सेवानिवृति की तिथि के प्रभाव से सेवानिवृत किया जाना अपेक्षित होता है।

5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री परमेश्वर मेहरा, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मढ़ौरा सम्प्रति सहायक अभियंता (निलंबित) को वित्त विभाग के ज्ञापांक 3/एफ–01–50/70–12753 एफ0 दिनांक 26.11.1970 में निहित प्रावधान के आलोक में उनके सेवानिवृति की तिथि दिनांक 30.06.2025 के अपराह्न से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

08/07/25

(अभय झा)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–1–63/2025 (खण्ड–ii) 7423 /पटना, दिनांकः– 9.7.25

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना/ जिला कोषागार पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव 08/07/25

ज्ञापांकः– 2/अ०प्र०–1–63/2025 (खण्ड–ii) 7423 /पटना/दिनांकः– 9.7.25

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/बिहार, पटना/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (प्रभारी लेखा शाखा), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, छपरा/ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सोनपुर/प्रशाखा पदाधिकारी–5/श्री परमेश्वर मेहरा, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मढ़ौरा सम्प्रति मुख्यालय– अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव 08/07/25

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–1–63/2025 (खण्ड–ii) 7423 /पटना/दिनांकः– 9.7.25

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव 08/07/25

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–1–63/2025 (खण्ड–ii) 7423 /पटना/दिनांकः–9.7.25

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव 08/07/25

(SU) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com, secy-reo-bih@nic.ir